

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-05/2025 श्र0सं0- 2771

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

मनीष कुमार,
सहायक श्रमायुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज/शेखपुरा/बक्सर/सीवान/मुंगेर एवं पश्चिम चम्पारण।

पटना, दिनांक- 27/05/2025

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघुशीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26, उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) एवं मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) के अन्तर्गत CFMS2.0 Software से आवंटन निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुग्रह अनुदान वेतन मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103 एवं 26-2230017890104) के अन्तर्गत CFMS2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन का विवरण निम्नवत है:-

2. मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघुशीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26, उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए- ₹5,000/-की दर से

: -

क्र0 सं0	विषयशीर्ष 37. 01-अनुग्रह अनुदान	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि(₹)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	0103.37.01	किशनगंज	जिला पदाधिकारी, किशनगंज	01	5000	श्रम अधीक्षक, किशनगंज का पत्रांक-373/ 17.04.2025 के आलोक में।
2	0103.37.01	शेखपुरा	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा	02	10000	श्रम अधीक्षक, शेखपुरा का पत्रांक-310/ 25.04.2025 के आलोक में।
3	0103.37.01	बक्सर	जिला पदाधिकारी, बक्सर	01	5000	श्रम अधीक्षक, बक्सर का पत्रांक-287/ 15.04.2025 एवं पत्रांक-328/ 29.04.2025 के आलोक में।

(20)

4	0103.37.01	सीवान	जिला पदाधिकारी, सीवान	05	25000	श्रम अधीक्षक, सीवान का पत्रांक-500/दिनांक-01.04.2025 के आलोक में।
5	0103.37.01	मुंगेर	जिला पदाधिकारी, मुंगेर	02	10000	श्रम अधीक्षक, मुंगेर का पत्रांक-734/ 29.04.2025 के आलोक में।
6	0103.37.01	पश्चिम चम्पारण	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण	20	100000	श्रम अधीक्षक, पश्चिम चम्पारण का पत्रांक-437/ 08.04.2025 के आलोक में।

3. मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0104-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए ₹5,000/-की दर से: -

क्र० सं०	विषयशीर्ष 37.01-अनुग्रह अनुदान	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि (₹)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	0104.37.01	शेखपुरा	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा	01	5000	श्रम अधीक्षक, शेखपुरा का पत्रांक-310/ 25.04.2025 के आलोक में।
2	0104.37.01	बक्सर	जिला पदाधिकारी, बक्सर	01	5000	श्रम अधीक्षक, बक्सर का पत्रांक-287/ 15.04.2025 एवं पत्रांक-328/ 29.04.2025 के आलोक में।
3	0104.37.01	पश्चिम चम्पारण	जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण	12	60000	श्रम अधीक्षक, पश्चिम चम्पारण का पत्रांक-437/ 08.04.2025 के आलोक में।

5. मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष-0102-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017960102) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के बाल श्रमिकों के लिए ₹5,000/-की दर से प्राप्त अध्याचना के आधार पर आवंटन का प्रस्ताव निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	विषयशीर्ष 37.01-अनुग्रह अनुदान	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या	प्रस्तावित राशि(₹)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	0102.37.01	मुंगेर	जिला पदाधिकारी, मुंगेर	02	10000	श्रम अधीक्षक, मुंगेर का पत्रांक-734/ 29.04.2025 CFMS2.0 Software में Tag न होने के कारण राशि आवंटित नहीं की गयी है।

5. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2244 दिनांक-02.05.2025 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 में “बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना” अनुदान की राशि ₹3000/- (₹ तीन हजार) एवं ₹5000/- (₹ पाँच हजार) मात्र, प्रति विमुक्त बाल श्रमिक की दर से भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।

6. अनुरोध है कि बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(10)

7. अनुरोध है कि यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि० दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि० दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98 के आलोक में है।
8. अनुरोध है कि इस आवंटित राशि से, किसी भी परिस्थिति में, अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
9. अनुरोध है कि आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
10. अनुरोध है कि आवंटित राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्हीं विमुक्त बाल श्रमिकों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया हो।
11. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।
12. श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन


26/05/25
(मनीष कुमार)

सहायक श्रमायुक्त।

ज्ञापांक: 6/एफ1-05/2025 श्र०सं०- 2771

पटना, दिनांक- 27/05/2025

प्रतिलिपि:-सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार तथा उप कोषागार पदाधिकारी/ संयुक्त श्रमायुक्त-2, प्रभारी प्रशाखा-01, श्रम पक्ष/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष/आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक से अनुरोध है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से अविलम्ब सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरुद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन


26/05/25
(मनीष कुमार)

सहायक श्रमायुक्त।